-1-

227

नि 3501-I/16

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर सागर कैम्प

1. चन्द्रप्रकाश तनय प्रतापगिरी
2. कमलेश गिरी तनय प्रतापगिरी
3. राकेश गिरी तनय नाथूराम गिरी
4. महेशगिरी तनय नाथूराम गिरी
5. प्रवेशगिरी तनय नाथूराम गिरी
6. महिला जयकुँवर वेवा नाथूरामगिरी
7. मनोजगिरी फौत वारसान,
   संगीता वेबा मनोज गिरी
   मानस पुत्र मनोज गिरी नाबालिक
   सभी निवासी ग्राम श्रीनगर,
   तह व जिला टीकमगढ़(म.प्र.)

.......आवेदकगण

//विरूद्ध//

म०प्र० शासन ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ म०प्र० प्रकरण क्रमाँक 304/अपील/2003–2004 में पारित आदेश दिनांक 09–01–2008 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते हैं:–

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदकगणों के पिता को विचारण न्यायालय तहसीलदार के आदेश दिनांक 05.05.1993 को विधिवत् कब्जा होने एवं तथा दखल रहित अधिनियम के तहत पात्रता अनुसार नामांतरण आदेश जारी किया गया था तभी से आवेदकगण विधिवत रूप से काबिज चले आ रहे हैं किंतु विचारण न्यायालय द्वारा 13.03.2000 को आवेदकगणा को आहुत किए बिना तथा पक्ष समर्थन का अवसर दिए बिना प्रश्नाधीन भूमि खसरा नंबर 74/2 रकवा 4.47 हे0 को शासकीय दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया जिसकी जानकारी होने पर आवेदकगणों द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसका विधिवत निराकरण किए जाने बिना ही अपील निरस्त किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी द्वारा हल्का पटवारी प्रतिवेदन आधार पर कार्यवाही प्रस्तुत की जिसमें आवेदक को तलब किए बगैर पक्ष समर्थन का युक्ति युक्त अवसर प्रदान किए बिना प्रकरण निराकृत किए जाने से पारित आदेश प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती रेनि श्रीवास्तव (एड.)
कटवारी किला, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244808

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक..निग..3501/I-16.....जिला ...टीकमगढ़.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-1-17	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 304/अपील/2003—2004 में पारित आदेश दि. 09/01/2008 के विरूद्व म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदकगणों के पिता को विचारण न्यायालय तहसीलदार के आदेश दिनांक 05.05.1993 को विधिवत कब्जा होने एवं तथा दखल रहित अधिनियम के तहत पात्रता अनुसार नामांतरण आदेश जारी किया गया था तभी से आवेदकगण विधिवत रूप से काबिज चले आ रहे हैं किंतु विचारण न्यायालय द्वारा 13.03.2000 को आवेदकगणा को आहुत किए बिना तथा पक्ष समर्थन का अवसर दिए बिना प्रश्नाधीन भूमि खसरा नंबर 74/2 रकवा 4.47 आरे को शासकीय दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया जिसकी जानकारी होने पर आवेदकगणों द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसका विधिवत निराकरण किए बिना ही अपील निरस्त किए जाने के कारण इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि हल्का पटवारी प्रतिवेदन आधार पर कार्यवाही प्रस्तुत की जिसमें आवेदक को तलब किए बगैर पक्ष समर्थन का युक्ति युक्त अवसर प्रदान किए बिना प्रकरण निराकृत किया गया है जबकि लगभग आवेदकगण उक्त भूमि ख.नं. पर पैतृक समय से काबिज रहकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है तथा आवेदक क्र.3 लगायत 7 के पिता के नाम से उक्त भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है जिसे आवेदकगण प्राप्त करने के पात्र है तथा वर्तमान में भी आवेदकगण मौके पर काबिज रहकर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं तथा आवेदकगण भूमिहीन है तथा उनके परिवार का उदर पोषण उक्त भूमि से	

निग. 3501-1/16 (टीकमगढ़)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	हो रही उपज से होता है इस कारण उन्होंने प्रश्नगत कार्यवाही पक्ष समर्थन के अभाव में न्यायसंगत न होने से निरस्त किए जाने का अनुरोध किया उन्होंने न्यायिक दृष्टांत राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.-44 तथा माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख करते हुए उन्होंने नामांतरण पंजी क्र. 10 आदेश दिनांक 05.05.1993 के अनुसार आवेदकगण के नाम की गई प्रविष्टि यथावत रखे जाने का अनुरोध किया है। 4- उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2000 में आवेदकगणों को कोई सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत खसरा पांचसाला के अवलोकन से वर्ष 1984 के खसरा में आवेदकगण के पिता के नाम का उल्लेख होने से विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें पक्ष समर्थन का अवसर दिए बिना प्रश्नगत आदेश वैद्य मान्य किए जाने में त्रुटि की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर न कर अपील प्रथम दृष्टया ही सारहीन मानकार खारिज की है। जबकि प्रस्तुत खसरा पांचसाला के अनुसार आवेदकगण वर्ष 1984 से काबिज चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09/01/2008 एवं तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/03/2000 निरस्त करते हुए नामांतरण पंजी क्र.10 आदेश दि. 05/05/1993 स्थिर रखा जाता है। परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	